ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु०नं० ir 58/2024 प्यारेलाल बनाम तहसीलदार	

29.10.2024

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक व अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 की खातेदार की जमीन खसरा नं. 974 रकबा 3.68 हैक्टेयर व खसरा नं. 978 रकबा 0.21 हैक्टेयर हैं कुल किता 2 कुल रकबा 3.89 हैक्टेयर जमीन ग्राम गुढ़ागौडजी पूर्व में तहसील गुढ़ागौडजी वर्तमान तहसील व जिला झुंझुनूं में अवस्थित है। आवेदक व अनावेदक 2 लगायत 5 की जमीन पैतृक सम्पदा हैं और पीढ़ी दर पीढी आवेदक व अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 लगातार काश्त करते आ रहे है। चूंकि आवेदक व अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 के खातेदार काश्तकार है, और वे करीबन 70 वर्षो से भी अधिक समय उक्त जमीन पर काबिज हैं और काश्त करते आ रहे है। आवेदक व अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 की जमीन के पुराने खसरा नं. 434, 435 मी. रकबा 3.68 हैक्टेयर व खसरा न. 435 का रकबा 0. 21 हैक्टेयर थे जिसके बाद नये खसरा नं. 434, 435 मी. के स्थान पर 1487 रकबा 3.68 हैक्टेयर व खसरा नं. 435 के स्थान पर रकबा 3753/1490 रकबा 0.21 हैक्टेयर बनाये गये। इस प्रकार वर्तमान खसरा नं. 974 व 978 का नक्शा ट्रेस भी वर्तमान नक्शा ट्रेस में छोटा कर दिया गया जो कि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं किया गया जबकि पूर्व में नक्शा सीट में खसरा नं 434 व 435 मी को दर्शाया गया है व वर्तमान खसरा नं. 974 व 978 के नक्शा सीट से भिन्न है जो गलत (छोटा) बना दिया गया है। चूंकि आवेदक का खाता संयुक्त हैं और आपस में विवाद पैदा न हो इसलिये उक्त गलती को दुरुस्त करवाये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया जाना लाजिम हुआ है। आवेदक ने अनावेदक संख्या 1 को उक्त गलती को दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया तो वे आवेदक को चक्कर कटाते रहे और फिर दिनांक 12–2–24 को साफ इन्कार हो गये इसलिये न्यायालय हाजा के समक्ष यह वादपत्र प्रस्तत करना आवश्यक हुआ है। अतः आवेदन पत्र अः धारा 136 लैण्ड रेवेन्य एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक की जमीन खसरा नं 974 व 978 का रेवेन्यू रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमाया जायें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर भूमि खसरा नम्बर 974 व 978 का नक्शा ट्रेश दुरुस्त करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपने पत्रांक भू0अ0/24/2416 दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रस्तावित शुद्धि करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित की है जिसे शामिल मिशल किया गया। पत्रावली पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार रिपोर्ट, जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया है कि ग्राम गुढागौड़जी के वर्तमान खाता संख्या 716 के खसरा नम्बर 974, 978 के वर्तमान नक्शा सीट एवं सम्वत 2010 की नक्शा सीट में अन्तर है जिसे दुरुस्त किया जाना उचित है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन एवं उक्त तथ्यों के आधार पर एवं न्यायालय मत पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर ग्राम गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 974 व 978 की वर्तमान नक्शा सीट, पूर्व नक्शा सीट सम्वत 2010 के अनुसार (मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार) दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार आदेश की पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को सुनाया गया।पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 29/10/24

(हवाई सिंह यादव)

उपखंड अधिकारी ...